न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), इटावा।

दिनांक–24.11.2023 **मूल प्रकीर्ण वाद सं०–04/2023**

पत्रावली पेश हुई।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 23 ग

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र 23 ग मय शपथपत्र 24 ग इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त वाद में वादी सं० –1 है। मृतक ने मृत्यु के पूर्व अपना बचत खाता सं०–10754759103 भारतीय स्टेट बैंक शाखा बकेवर, जिला इटावा से भारतीय स्टेट बैंक शाखा–ददौरा जिला इटावा में ट्रांसफर करवा लिया था, परन्तु संलग्न पासबुक पर शाखा बकेवर का संशोधन करवाकर शाखा ददौरा नहीं दर्ज करवाया था, जिसकी वजह से भूलवश प्रार्थी ने दायरा के समय वादपत्र में भारतीय स्टेट बैंक शाखा बकेवर, जिला इटावा लिख दिया है, जिसकी वजह से बैंक से रिपोर्ट भी नहीं आ पा रही है। प्रार्थी ने जब बैंक जाकर पता किया तब इस बात की जानकारी हुई, प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। इसलिए प्रार्थनापत्र वादपत्र में संशोधन होना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र 23 ग के माध्यम से संशोधन किये जाने की याचना की गयी।

सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के आशय से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति नहीं बदलती है, न ही वाद हेतुक परिवर्तित होता है। उक्त संशोधन वाद के सम्यक् रूप से निस्तारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र 24 ग से समर्थित है। वांछित संशोधन किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थनापत्र 23 ग न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 23 ग स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी वांछित संशोधन अविलम्ब करना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 05.12.2023 को पेश हो।

सिविल जज (सी०डि०),
इटावा।